जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-26.03.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 26.03.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शंकर पुत्र सुभाष निवासी ग्राम डेरा भागीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार चौकी प्रभारी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 निशान्त कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 जितेन्द्र कुमार चौकी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विकास कौशिक उर्फ मोनू शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा निवासी ऊंचागांव थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 बाबूराम थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 दिग्विजय सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में जानलेवा हमला, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 23.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में दो पक्षों में जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में विक्रम पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम जैनपुर थाना झिंझाना की तहरीर के आधार पर 09 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा सुशील कुमार पुत्र परमाल निवासी ग्राम जैनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की तहरीर के आधार पर 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। घटना में लिप्त 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनाँक 26.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैनपुर में जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अंकुश पुत्र नाथी निवासी ग्राम छतैला जैनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री ओमबीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 अनीश खान थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.का0 शान्तनु यादव थाना कैराना जनपद शामली।

“आपरेशन क्लीन” अभियान के अन्तर्गत थाना बाबरी पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम सम्बन्धित मालो का नष्टीकरण हेतु थाना प्रांगण के मालखाने में रखी माल मुकदमाती कुल 60 लीटर कच्ची शराब व 80 पव्वे देशी शराब को नष्ट कराये जाने के संबंध मेः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी शामली व पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के निर्देशन में जनपद शामली के थाना बाबरी पर मुकदमों से सम्बन्धित मालखाने में रखी माल मुकदमाती शराब को नष्ट कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा द्वारा आदेश निर्गत किये गए थे। उक्त क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को गठित टीम श्री विनय प्रताप सिंह एसडीएम शामली, श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर क्षेत्राधिकारी थानाभवन जनपद शामली, आरिफ ए0पी0ओ0 शामली, श्री अशोक कुमार आबकारी निरी0 क्षेत्र नगर जनपद शामली एवं राहुल कादयान थानाध्यक्ष थाना बाबरी जनपद शामली की उपस्थिति में थाना बाबरी के मालखाने में रखी 08 मुकदमों से सम्बन्धित 60 लीटर कच्ची शराब व 80 पव्वे देशी शराब को थाना बाबरी परिसर में गढ्ढा खुदवाकर नष्टीकरण की कार्यवाही की गयी तथा नष्टीकरण की कार्यवाही करते समय उपरोक्त नष्ट हुए मालो की फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी की गयी।

<u>जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली, जिला मजिस्ट्रेट शामली, पुलिस अधीक्षक शामली व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जनपद मु0नगर स्थित जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।</u>

आज दिनांक 26.03.2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार, जिला मजिस्ट्रेट शामली श्री अरविन्द चौहान, पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा द्वारा जनपद मुज़फ्फरनगर स्थित जिला कारागार में महिला व पुरूष जेल बैरिकों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के बैरिको में कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नही हुई। इस के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान जेल में बंद महिला/पुरूष कैदियों के लिए बने जिला कारागार के भोजनालय, चिकित्सा व्यवस्था हेतु अस्पताल, पुस्तकालय तथा कैदियों के रहने हेतु बने बैरकों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु जिला कारागार के अधिकारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। महिला/पुरूष बंदियों को स्वस्थ रहने हेतु योग करने तथा सजा पूर्ण कर चुके बंदियों की रिहाई पर उन्हें आगामी जीवन मे अच्छे आचरण व मधूर व्यवहार रखने की सलाह दी गई। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार मुजफ्फरनगर के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2008 में अभियुक्त मोहित पुत्र महीपाल निवासी खडताना थाना तीतरो जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 1013/2008 धारा 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को माननीय न्यायालय सीजे/जेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 03-03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 1999 में अभियुक्त 1.महताब पुत्र जमील निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली 2.नईम पुत्र नफीस निवासी मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली पर मु0अ0सं0 90/1999 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में 02 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03-03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.महताब पुत्र जमील निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली

2.नईम पुत्र नफीस निवासी मलकपुर थाना कैराना जनपद शामली

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI